

झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड स्थानीय क्षेत्र में उपभोग अथवा
व्यवहार हेतु वस्तुओं के प्रवेश पर
प्रवेश कर विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]



सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड स्थानीय क्षेत्र में उपभोग अथवा
व्यवहार हेतु वस्तुओं के प्रवेश पर
प्रवेश कर विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएँ ।
3. प्रवेश कर का भुगतान ।
4. कर का कोष (निधि) में विनियोजन ।
5. कर का भुगतान ।
6. निबंधन ।
7. निरीक्षी पदाधिकारी ।
8. अनुसूची में संशोधन करने की सरकार की शक्तियाँ ।
9. खाते संबंधी किताबों / दस्तावेजों के संधारण एवं विवरणियों के समर्पण का दायित्व ।
10. विवरणियों एवं कर-भुगतान के लिए दण्ड ।
11. कर निर्धारण ।
12. कर-निर्धारण के पूर्व आयातित वस्तुओं के प्रवेश की जानकारी को छिपाया जाना ।
13. प्रवेश कर से बचने के लिए कर-निर्धारण, अवकर-निर्धारण और लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ ।
14. कर-निर्धारण की कार्यवाही पूरी किये जाने के लिए निर्धारित सीमावधि ।
15. कर-वापसी ।

16. कर की वसूली।
17. वसूली की विशेष रीति।
18. व्यवसाय के हस्तान्तरण की स्थिति में कर अदायगी की जवाबदेही।
19. धारा- 3 और 5 के अंतर्गत कर के भुगतान के प्रति जवाबदेह व्यक्ति की भंग कम्पनी अथवा उसके संघ का दायित्व।
20. अपील
21. पुनरीक्षण।
22. पुनर्विलोकन।
23. न्यायिक क्षेत्राधिकार।
24. इन्डेमिटी।
25. उच्च न्यायालय को भेजे गये मामलों का विवरण।
26. सामग्रियों का आवागमन।
27. कम्पनी द्वारा किये गये अपराध।
28. अपराध एवं शास्तियाँ।
29. अपराध का प्रशमन।
30. किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में किसी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना।
31. नियमावली बनाने की शक्तियाँ।
32. निरसन और व्यावृत्तियाँ।
33. विधिमान्यकरण एवं विमुक्ति।
34. कठिनाईयों का निराकरण।

झारखंड स्थानीय क्षेत्र में उपभोग अथवा व्यवहार हेतु वस्तुओं के प्रवेश पर प्रवेश कर विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखंड राज्य के बाहर से इसके स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग अथवा व्यवहार हेतु कतिपय वस्तुओं के झारखंड राज्य में प्रवेश पर कर की वसूली हेतु अधिनियम।

जबकि राज्य में व्यापार, आधारभूत संरचना, वाणिज्य एवं उद्योग के विकास के उद्देश्य से एक कोष का निर्माण करना आवश्यक है और जिसके लिए झारखंड राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग अथवा उपयोग हेतु कतिपय वस्तुओं के प्रवेश पर कर लगाना वांछित है;

एतद् द्वारा भारतीय गणराज्य की स्थापना के 62वें वर्ष में, झारखंड विधानमंडल द्वारा यह अधिनियम लागू किया जाता है, जो इस प्रकार है:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ — (1) इस अधिनियम को झारखंड स्थानीय क्षेत्र में उपभोग अथवा व्यवहार के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर प्रवेश कर अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना निर्गमन से नियत की जानेवाली तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं — (1) इस अधिनियम में, जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो:-

(ए) "निर्धारिती" का अर्थ है अनुसूचीबद्ध वस्तु का कोई ऐसा आयातक, जो चाहे व्यवसाय के लिए अथवा अन्यथा, जिसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कर अथवा कोई अन्य राशि का भुगतान देय है, और जिसमें प्रत्येक ऐसा आयातक/व्यक्ति शामिल है, जिसके लिए इस अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा देय कर के कर-निर्धारण के संदर्भ में कोई कार्यवाही की जानी है;

(बी) "व्यवसाय" का अर्थ है कोई भी व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण अथवा उद्यम अथवा अन्यथा अथवा व्यापार, वाणिज्य, विद्युत के उत्पादन या वितरण, दूरसंचार नेटवर्क, विनिर्माण के स्वभाव से संबंधित, ऐसा कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, उद्यम, जो मुनाफा कमाने के उद्देश्य से शुरू किया गया हो अथवा नहीं, और चाहे ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, उद्यम अथवा इससे संबंधित कोई मुनाफा कमाया गया हो अथवा नहीं, और जिसमें ऐसे व्यापार अथवा सेवाएं, वाणिज्य, विनिर्माण, उद्यम अथवा इससे संबंधित अथवा आकस्मिक अथवा आनुषंगिक वस्तुओं का कोई भी लेन-देन किया गया हो, अथवा ऐसा कोई लेन-देन, जिसमें वह वस्तु अपने मूल स्वरूप में हो अथवा ना हो, अथवा द्वितीय उपभोक्ता वस्तु, ठीक ना होनेवाली वस्तु, खराब या बेकार वस्तु, रद्दी अथवा कचरा वस्तु, जो रद्दी-वस्तु के स्वरूप में खरीदा गया हो, अन्य वस्तुओं के विनिर्माण अथवा उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादित हुआ हो अथवा खनन अथवा प्रसंस्करण अथवा बिजली के उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त किया गया हो।

(सी) इस अधिनियम के लिए "आयुक्त" का अर्थ है वाणिज्य-कर आयुक्त अथवा वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, जिन्हें सरकार द्वारा झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखंड अधिनियम 5, 2006) की धारा 4 के अधीन नियुक्त किया गया हो, और जिसमें झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4 के अधीन नियुक्त अन्य कोई अधिकारी शामिल है, जिसके लिए राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर, इस अधिनियम के उद्देश्यों के निर्वहन हेतु आयुक्त की किसी एक या सभी शक्तियों और दायित्वों का निर्धारण पर सकती है।

(डी) "उपभोग अथवा व्यवहार" : इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं भी उपयुक्त के अनुरूप; जिसका अर्थ है विनिर्माण, विद्युत के उत्पादन या वितरण, दूरसंचार नेटवर्क, कार्य अनुबंध,

भवन निर्माण, उत्थापन, उत्पादन, संयोजन, अधिष्ठापन, संशोधन, आरंभण, मरम्मत, भवनों, संयंत्रों के बाहर समस्त प्रकार के निर्माण कार्य, जिसमें जल/नदी परियोजनाएं, सड़क, पुल सभी शामिल हैं, जिन्हें किसी व्यवसाय के रूप में अथवा अन्यथा शुरू किया गया हो, लेकिन इसमें पंजीकृत विक्रेताओं द्वारा अथवा इनके उपयोग अथवा उपभोग हेतु किसी भी स्थानीय क्षेत्र में आयातित अथवा आयात संबंधी वस्तुएं शामिल नहीं हैं, जिनका कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में उनके द्वारा सीधे उपभोग या उपयोग किया गया हो।

(ई) अपनी समस्त व्याकरण संबंधी विविधताओं एवं सजातीय व्याख्याओं सहित "वस्तुओं के प्रवेश" का अर्थ है, अनुसूचीबद्ध वस्तुओं का राज्य के बाहर किसी भी स्थान से यहाँ उपभोग अथवा उपयोग के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश।

(एफ) "कोष" का अर्थ है, राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में व्यापार, आधारभूत संरचना, वाणिज्य और उद्योग के विकास के उद्देश्य से निर्मित "झारखंड वाणिज्य विकास कोष" जिसके संदर्भ में उस अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अपने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना निर्गत कर निर्देशित किया गया हो।

(जी) "वस्तुएं" का अर्थ है समस्त प्रकार की चल संपत्ति (अखबार, कार्रवाई योग्य दावे, बिजली, स्टॉक और शेयर और प्रतिभूतियों के अतिरिक्त), और जिसमें वे सभी सामग्रियाँ, किसी भी स्वरूप में बेचे जानेवाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाईल टेलीफोन में इस्तेमाल होनेवाले सिम कार्ड, अथवा कोई भी अन्य सक्रिय की जानेवाली वस्तुएं, उत्पाद, वस्तुएं और सभी प्रकार की संपत्तियाँ (जो वस्तु अथवा किसी भी अन्य स्वरूप में हो) शामिल हैं, जिन्हें किसी कार्य अनुबंध को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया गया हो।

(एच) "सरकार" का अर्थ है झारखंड सरकार।

(आई) "आयातक" का अर्थ है कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो किसी भी अनुसूचीबद्ध वस्तु का, चाहे वह अपने खाते में हो अथवा किसी संपत्ति के खाते में हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में, जो राज्य के बाहर किसी भी स्थान से स्थानीय क्षेत्र में उपयोग अथवा उपभोग के लिए आयात करता है या करवाता है, अथवा जिसके पास स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के समय इस प्रकार की वस्तुएं हों।

व्याख्या : इस अधिनियम के उद्देश्य से आयात के अंतर्गत देश के बाहर से आयातित वस्तुएं शामिल नहीं हैं।

(जे) "इनपुट" का अर्थ है व्यवसाय के लिए खरीदी गयी अनुसूचीबद्ध वस्तुएं और जिन्हें - (ए) बिक्री हेतु कर योग्य वस्तुओं के निर्माण अथवा उत्पादन में उपयोग के लिए, अथवा (बी) खनन में इस्तेमाल के लिए अथवा कंटेनर के रूप में इस्तेमाल के लिए अथवा बिक्री हेतु कर योग्य वस्तुओं की पैकिंग सामग्री के रूप में इस्तेमाल के लिए अथवा (सी) कार्य अनुबंध को पूरा करने के लिए खरीदा गया हो।

(के) "स्थानीय क्षेत्र" का अर्थ है, एक निर्धारित सीमा के अंतर्गत क्षेत्र -

(ए) नगर निगम	(ई) टाउन बोर्ड
(बी) नगर पालिका	(एफ) खान बोर्ड
(सी) अधिसूचित क्षेत्र समिति	(जी) नगर परिषद
(डी) छावनी बोर्ड	(एच) ग्राम पंचायत

कोई भी अन्य स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी भी नाम से बुलाया जानेवाला अधिकारी, जिसे कुछ समय के लिए लागू कोई भी कानून में अथवा इसके अंतर्गत गठित किया गया हो अथवा जिसके कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया हो।

(एल) "विनिर्माण" के अंतर्गत ऐसी कोई भी गतिविधि शामिल है जिसमें किसी भी सामग्री अथवा सामग्रियों अथवा वस्तुओं के मूल रूप को किसी भी प्रक्रिया, उपचार, श्रम द्वारा और किसी नए और अलग स्वरूप में परिवर्तित किया गया हो, जिसे व्यावसायिक जगत

में एक अलग और खास नाम से पुकारा जाता हो, लेकिन इसमें निर्माता की ऐसी कोई गतिविधि शामिल नहीं है, जिसे इस अधिनियम में अधिसूचित ना किया गया हो।

(एम) "माह" का अर्थ है कैलेंडर माह।

(एन) "अधिसूचना" का अर्थ है सरकार के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना।

(ओ) "व्यक्ति" में शामिल है:

(ए) एक व्यक्ति (बी) एक संयुक्त परिवार

(सी) एक कंपनी (डी) कोई फर्म

(ई) व्यक्तियों का एक संघ अथवा व्यक्तियों की एक समिति, चाहे शामिल किया गया हो या नहीं,

(एफ) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य राज्य की सरकार अथवा भारत का कोई केंद्र शासित प्रदेश,

(जी) एक स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी भी कानून द्वारा स्थापित प्राधिकरण

(पी) "व्यवसाय स्थल" का अर्थ है कोई भी ऐसा स्थान जहाँ व्यक्ति अपना व्यवसाय चला रहा है अथवा ऐसी कोई भी गतिविधि, जो व्यवसाय के लिए हो अथवा ना हो, अथवा अन्यथा हो, जिसमें शामिल है:-

(i) कोई वेयरहाउस, गोदाम या कोई ऐसी जगह जहाँ व्यक्ति अपनी वस्तुओं का उत्पादन करता है अथवा इन्हें संरक्षित रखता है,

(ii) कोई भी स्थान जहाँ व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन अथवा निर्माण करता है

(iii) कोई भी स्थान जहाँ व्यक्ति अपने लेन-देन के खातों को सुरक्षित रखता है

(iv) ऐसे मामलों में जहाँ व्यक्ति एजेंट (चाहे उसे किसी भी नाम से बुलाया जाए) के जरिए व्यवसाय का संचालन करता है, ऐसे एजेंट के व्यवसाय का स्थान,

(v) कोई भी वाहन या पोत (वैसल) अथवा कोई अन्य मालवाहक, जिसमें सामग्रियों को सुरक्षित रखा जाता हो अथवा जिसका उपयोग वस्तुओं की दुलाई में उपयोग होता हो,

(क्यू) "विहित" का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों द्वारा विहित

(आर) "विहित प्राधिकारी" का अर्थ है ऐसे प्राधिकारी जिन्हें झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखंड अधिनियम 5, 2006) की धारा 4 के अधीन और उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो, जिनको उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत अथवा उक्त अधिसूचना में तत्संबंधी उल्लिखित विवरणों से संबंधित क्षेत्रों में, क्रमशः अपने दायित्वों के निर्वहन एवं शक्तियों के प्रयोग की जिम्मेदारी सौंपी गयी हो, जिसके लिए इस अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप प्रक्रियाओं को पूरा करने, दायित्वों के निर्वाह और शक्तियों के प्रयोग की बात कही गयी है।

(एस) "तिमाही" का अर्थ है 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होनेवाली तिमाही।

(टी) "निबंधित व्यवसायी" का अर्थ है झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की शर्तों के अंतर्गत निबंधित कोई व्यवसायी, जिसे विशेषकर कर योग्य वस्तु के निर्माण/खनन और बिक्री के उद्देश्य से निबंधित किया गया हो, और जिसमें ऐसे निबंधित व्यवसायी/व्यक्ति शामिल हैं, जिन्हें उपरोक्त अधिनियम की शर्तों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप व्यवसाय की स्थापना के लिए निबंधित किया गया है।

व्याख्या : इस अधिनियम के अंतर्गत निबंधित व्यवसायी के लिए ऐसे निबंधित व्यवसायी शामिल नहीं हैं जिन्हें झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की शर्तों के अंतर्गत निबंधित किया गया है और जो बिजली अथवा बिजली के किसी भी स्वरूप के उत्पादन, वितरण और प्रसार के कार्य में संलग्न हैं अथवा दूरसंचार नेटवर्क से जुड़े हैं।

(यू) "अनुसूची" का अर्थ है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची।

(वी) "राज्य" का अर्थ है झारखंड राज्य।

(डब्ल्यू) "कर योग्य वस्तुओं" का अर्थ है झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II के साथ संलग्न वस्तुएं, जिनपर उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत वर्णित नियमों के अनुसार कर लगाया जा सकता है।

(एक्स) "कर" का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत लगाया जानेवाला प्रवेश कर।

(वाई) "कर चालान" का अर्थ है वह दस्तावेज जिसमें अनुसूचीबद्ध वस्तुओं की सूची इनके मूल्य, मात्रा, और अन्य विवरणों सहित बैंक खाते का विवरण, बिल, नगदी पंजी, पर्ची, रसीद अथवा इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज, चाहे वह किसी भी स्वरूप में हों, जिसे झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 60 की शर्तों एवं इसके अंतर्गत वर्णित नियमों के साथ पढ़ा जाए।

(जेड) "करारोप्य सकल आवर्त" का अर्थ है वह सकल आवर्त, जिसपर किसी भी निर्धारिती यानी निर्धारिती पर उसके कुल व्यवसाय के कर-निर्धारण के लिए अधिनियम में निर्देशित के अनुसार कटौती के बाद निर्धारित कर के भुगतान का दायित्व बनता है।

(एए) "न्यायाधिकरण" का अर्थ है झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 05 की धारा 03 और इसमें वर्णित नियमों के अंतर्गत गठित किया गया न्यायाधिकरण।

(एबी) किसी भी अनुसूचीबद्ध वस्तु के संदर्भ में "अनुसूचीबद्ध वस्तुओं के मूल्य" का अर्थ है निम्नांकित का कुल योग :

(i) इस प्रकार की वस्तुओं के लिए भुगतान की गयी या भुगतान की जानेवाली राशि अथवा अगर इन वस्तुओं का मूल्य उपलब्ध नहीं हो, तो स्थानीय क्षेत्रों में इन वस्तुओं का वर्तमान बाजार मूल्य,

(ii) इस प्रकार की वस्तुओं के लिए किसी भी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश से पहले भुगतान किया गया या किया जानेवाला कोई कर, कर अथवा प्रभार, जिसमें केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की शर्तों के अनुरूप भुगतान की गयी केन्द्रीय बिक्री कर शामिल नहीं है,

(iii) इस प्रकार की वस्तुओं के संदर्भ में किसी भी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश से पहले भुगतान किया गया या किया जानेवाला बीमा, भंडारण, लोडिंग की लागत, खाली करने की लागत, और अन्य आकस्मिक शुल्क, और

(iv) इस प्रकार की वस्तुओं को इन स्थानीय क्षेत्रों तक पहुँचाने में ढुलाई और सुपुर्दगी की लागत

(एसी) "कार्य संविदा" से अभिप्रेत है नकद अथवा आस्थगित भुगतान अथवा अन्य मूल्यवांन प्रतिफल के लिए निर्माण कार्य, किसी भवन, सड़क, पुल अथवा अन्य अचल अथवा चल संपत्ति का निर्माण, फिटिंग, सुधार अथवा मरम्मत के लिए करार।

(एडी) "वर्ष" का अर्थ है वित्तीय वर्ष।

उन शब्दों या व्याख्याओं को, जिनका यहाँ प्रयोग किया गया है लेकिन जिन्हें पारिभाषित नहीं किया गया है, उनका अर्थ झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 05 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुरूप होंगे।

3. प्रवेश कर का भुगतान- (1) उप-धारा के प्रावधानों के अनुरूप (2) उप-धारा में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त (3) निर्धारिती पर लगाया जानेवाला और उसके द्वारा राज्य सरकार को भुगतान किया जानेवाला कर: अनुसूचीबद्ध वस्तुओं पर, जिनका मूल्य दस हजार रुपए की सीमा को पार करेगा, उनके उपभोग अथवा उपयोग के लिए अनुसूची में वर्णित दर के अनुसार प्रवेश कर लगाया जाएगा।

यह कि राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग श्रेणियों की वस्तुओं के उपभोग अथवा उपयोग के लिए करों की अलग अथवा अलग-अलग दरें निर्धारित की जा सकती हैं।

और यह भी कि प्रवेश कर की दर उपभोग अथवा व्यवहार की गयी अनुसूचीबद्ध वस्तुओं के मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(2) अनुसूचीबद्ध वस्तुओं के आयातक द्वारा कोई भी प्रवेश कर देय नहीं होगा;

(ए) किसी निबंधित व्यवसायी द्वारा बेचा गया

(बी) रक्षा मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल की इकाईयों द्वारा उपयोग अथवा इस्तेमाल में लाया गया।

(सी) ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग या इस्तेमाल किया गया जिसके लिए राज्य सरकार इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर इसके जनहित के होने पर छूट की घोषणा करती है, और इस प्रकार की छूट उक्त अधिसूचना में वर्णित शर्तों और प्रतिबंधों के अनुरूप हो सकती है।

(डी) किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग की गयी अथवा इस्तेमाल में लायी गयी अनुसूचीबद्ध वस्तु, जिसके लिए उसके पास राज्य के निबंधित व्यवसायियों से खरीद का कर चालान हो।

(3) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, उन शर्तों और प्रतिबंधों पर अधिसूचना जारी कर निबंधित व्यवसायियों द्वारा उपयोग अथवा उपभोग की गयी आवक वस्तुओं पर कर लगा सकती है।

(4) जब कोई निधारिती, अपने प्रत्येक व्यवसाय के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत एक से अधिक निबंधन करा लेता है, तो उसपर प्रत्येक निबंधन के लिए अलग से कर देय होगा।

4. कर का कोष (निधि) में विनियोजन — (1) इस अधिनियम के अंतर्गत लगाया अथवा नियंत्रित किया जानेवाला प्रवेश कर को कोष (निधि) में विनियोजित कर दिया जाएगा, जैसा कि इस अधिनियम की धारा (2) के उपबंध (एफ) के अंतर्गत प्रावधान है।

(2) धारा 5 के अंतर्गत देय कर तबतक लगाया जाता रहेगा जबतक कि राज्य के अंदर इसमें किसी प्रकार की बुनियादी सुविधा अथवा सुधार, जैसे कि बिजली, सड़क, बाजार की परिस्थितियाँ आदि में व्यापार, वाणिज्य अथवा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बाजार की बेहतर परिस्थितियाँ तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) "कोष" का उपयोग विशेषकर झारखंड राज्य में व्यापार, वाणिज्य अथवा उद्योग के विकास के लिए किया जाएगा, जिसके अंतर्गत निम्नांकित बातें शामिल होंगी:—

(क) अपने द्वारा अधिशासित क्षेत्रों में बाजार और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़कों और पुलों के निर्माण, विकास एवं रख-रखाव कार्य के लिए,

(ख) वित्तीय, औद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाईयों को वित्तीय सहयोग, मदद, अनुदान और छूट देने के लिए,

(ग) उद्योगों, मार्केटिंग एवं अन्य व्यावसायिक परिसरों को विद्युत ऊर्जा और जल आपूर्ति की सुविधा देने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में,

(घ) सामान्य व्यापार, वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्रकार की बुनियादी सुविधाओं के निर्माण, विकास एवं रख-रखाव के लिए।

(4) राज्य सरकार, इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर, समुचित खातों के प्रमुखों अथवा इस संदर्भ में अधिसूचित ऐसे बैंकों के खातों में कर जमा करने के लिए निर्देश दे सकती है।

(5) राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी कर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी, जो इस धारा में निष्पादित किए जानेवाले कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि के भुगतान की प्रक्रिया तय करेगी।

5. कर का भुगतान - (1) उपधारा 5 में वर्णित के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान किया जाना है, चाहे वह इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो अथवा नहीं, ऐसी वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में उपयोग अथवा उपभोग के लिए प्रवेह के महीने से लेकर संबंधित महीने के समाप्त होने के 15 दिनों के अंदर, निर्देशित तरीके से, धारा 3 के अंतर्गत उसके द्वारा देय कुल कर जमा राशि का भुगतान, सरकारी खजाने में करना होगा।

यद्यपि, जहाँ एसेसी द्वारा कर की राशि का भुगतान राज्य सरकार को निर्देशित तिथि के अंदर नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में एसेसी को 2% प्रतिमाह के दर से उस राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा, जिसका समय पर, जब से कर भुगतान की राशि बकाया चल रही है, तब से लेकर जबतक इसका भुगतान नहीं कर दिया जाता है।

व्याख्या - इस उद्देश्य के लिए महीने का अर्थ होगा तीस दिन, और एक महीने से कम की अवधि में कर की बकाया राशि का भुगतान कर देने पर देय राशि का मूल्यांकन उसी तिथि के अनुसार किया जाएगा।

(2) इस निमित्त आयुक्त, किसी भी एसेसी के संदर्भ में भुगतान की तिथि को आगे बढ़ा सकता है अथवा उसे इस अधिनियम के अंतर्गत ब्याज के साथ कर का भुगतान निर्देशित शर्तों और तरीकों के जरिए एक साथ करने की अनुमति दे सकता है।

(3) निबंधित निर्धारिती आधा प्रतिशत अथवा एक वर्ष में पच्चीस हजार रुपए, जो भी न्यूनतम हो, की छूट का तब हकदार होगा, अगर उसके द्वारा बकाया कर का भुगतान विहित अवधि के अंदर कर दिया जाता है।

(4) इस धारा में संलग्न विवरणों के अतिरिक्त, निबंधित निर्धारिती को किसी भी अनुसूचीबद्ध वस्तु का आयात करने के लिए झारखंड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 42 के उप नियम (2), (3), (4) में निर्देशित प्रपत्र को प्राप्त करना/जारी कराना होगा, और प्रवेश शुल्क का भुगतान उसमें वर्णित दरों के अनुसार करना होगा।

(5) उपधारा (4) में संलग्न विवरणों के अतिरिक्त, किसी एसेसी/व्यक्ति को, जो किसी भी अनुसूचीबद्ध वस्तु का आयात करने के लिए झारखंड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 42 के उप नियम (1) में निर्देशित प्रपत्र को प्राप्त करना होगा, और उसमें वर्णित दरों के अनुसार प्रवेश शुल्क का भुगतान ऐसे प्रपत्र प्राप्त करने के समय करना होगा।

6. निबंधन- (1) कोई भी निर्धारिती, जिसपर इस अधिनियम के अंतर्गत कर अदायगी की देनदारी बनती है, और जिसके द्वारा आयातित अनुसूचीबद्ध वस्तुओं का सकल आवर्त मूल्य, एक वर्ष में पाँच लाख रुपए से अधिक होता है, उसे अनुसूची में वर्णित वस्तु का उपयोग अथवा उपभोग स्वयं करना होगा, जबतक कि उसे मान्य निबंधन प्रमाणपत्र निर्गत ना कर दिया गया हो।

(2) प्रत्येक निर्धारिती, जिसपर इस अधिनियम के अंतर्गत कर अदायगी की देनदारी बनती है, और जिसे पास उप-धारा (1) में वर्णित आवश्यक निबंधन प्रमाणपत्र निर्गत कराना हो, तो वह अपने प्रत्येक व्यवसाय के स्थान के संदर्भ में निबंधन के लिए विहित पदाधिकारी के पास उस तिथि से 30 दिनों के अंदर, जब से इस अधिनियम के अंतर्गत उसपर कर की देनदारी बनती है, आवेदन कर सकता है।

(3) निबंधन के लिए विहित विवरण के अनुसार, उसी प्रकार से, उसी स्वरूप में, और उसी विहित शुल्क राशि के साथ आवेदन किया जाना चाहिए।

(4) इस संदर्भ में विहित प्राधिकारी, आवेदन की प्राप्ति और उन जानकारियों को प्राप्त करने के बाद, जिसे वह स्वयं की संतुष्टि के लिए प्राप्त करना आवश्यक समझता हो, आवेदक को उक्त आवेदन को भरकर जमा करने की तिथि के तीस दिनों के अंदर निबंधन प्रमाणपत्र निर्गत कर सकता है।

7. निरीक्षी पदाधिकारी - (1) "उपायुक्त", सहायक आयुक्त, और वाणिज्य कर पदाधिकारी धारा 9 की उप-धारा (1) के लिए खातों के हिसाब-किताब के लिए निरीक्षी पदाधिकारी होगा।

(2) ऐसे निरीक्षी पदाधिकारी इस अधिनियम में वर्णित प्रावधानों और इसके अंतर्गत दिए गए नियमों को प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से निर्देशित अपने दायित्वों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत वर्णित अपने अधिशासी क्षेत्र के अंदर करेंगे।

(3) ऐसे प्रत्येक पदाधिकारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 21, (1860 के अधिनियम 45) के तात्पर्य से एक सरकारी सेवक समझा जाएगा।

8. अनुसूची में संशोधन करने की सरकार की शक्तियाँ :- सरकार, इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में वर्णित करों की दरों में अधिसूचना द्वारा, जोड़कर अथवा हटाकर, अथवा संशोधन कर अथवा परिवर्तन कर अथवा पुनरीक्षण कर सकती है।

9. खाते संबंधी किताबों/दस्तावेजों के संधारण और विवरणियों के समर्पण का दायित्व - (1) प्रत्येक निबंधित निर्धारिती, जिसकी, इस अधिनियम के अंतर्गत कर की देनदारी बनती है, इसमें निर्देशित अनुसार उन आंकड़ों को उसी तरीके से उसी स्वरूप में सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे कि :-

(क) उसके द्वारा उपयोग अथवा उपभोग के लिए आयातित अनुसूचीबद्ध वस्तुओं की खरीदारी का विवरण,

(ख) उसके द्वारा उपयोग अथवा उपभोग के लिए राज्य के किसी किसी निबंधित व्यवसायी से खरीदी गयी अनुसूचीबद्ध वस्तुओं की खरीदारी का विवरण,

(ग) इस अधिनियम के अंतर्गत देय कर की राशि,

(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत देय ब्याज की राशि, अगर कोई हो और

(च) ऐसी कोई भी अन्य सामग्री जिसके लिए निर्देशित किया गया हो।

(2) प्रत्येक निबंधित निर्धारिती, जिसपर इस अधिनियम के अंतर्गत कर की देनदारी बनती है, उसे प्रत्येक माह के लिए सटीक, संपूर्ण और सही विवरणी, विहित प्रपत्र में, उसी तरीके से जमा कराना होगा।

(3) प्रत्येक निबंधित निर्धारिती, जिसपर इस अधिनियम के अंतर्गत कर की देनदारी बनती है, उसे सटीक, संपूर्ण और सही वार्षिक विवरणी, विहित प्रपत्र में, उसी तरीके से जमा कराना होगा।

(4) प्रत्येक निबंधित निर्धारिती, जिसपर इस अधिनियम के अंतर्गत कर की देनदारी बनती है, जिसके प्रपत्र में किसी प्रकार की असत्य जानकारी अथवा मिटायी गयी जानकारी मिलती है, वह मूल विवरणी जमा करने के छः महीने के अंदर, लेकिन वर्ष की समाप्ति के बाद जुलाई के एक महीने के बाद नहीं, अपना संशोधित विवरणी जमा कर सकता है।

यह कि ऐसे किसी भी विवरणी पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसकी सूचना विहित प्राधिकारी के कब्जे में आ गयी है, और विहित प्राधिकारी लिखित रूप से उक्त कारणों को उल्लिखित करेगा और समझेगा कि मूल रूप से जमा की गयी विवरणी जान-बूझकर असत्य अथवा राजस्व के खजाने को धोखा देने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।

10. विवरणियों एवं कर-भुगतान के लिए दण्ड :- (1) यदि कोई भी निबंधित निर्धारिती अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जिसपर इस अधिनियम के अंतर्गत कर अदायगी की देनदारी बनती है, वह अपना विवरणी अथवा वार्षिक विवरणी विहित अवधि के अंदर जमा नहीं कर पाता है तो निर्धारित प्राधिकारी ऐसे निर्धारिती की सुनवाई के लिए मौका दे सकता है, जिसके लिए वह किसी महीने के प्रत्येक दिन के विलम्ब पर 20 रुपए से अधिक नहीं, का जुर्माना लगा सकता है, जो एक वर्ष में अधिक से अधिक 5000 रुपए तक हो सकता है,

(2) अगर किसी निर्धारिती या अन्य व्यक्ति पर धारा 3 और धारा 5 के अंतर्गत कर के भुगतान की देनदारी बनती है और वह निर्धारित तिथि के अंदर और साथ ही वह धारा 5 की उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत देय कर का भुगतान नहीं कर पाता है, तो विहित प्राधिकारी ऐसे निर्धारिती/व्यक्ति की सुनवाई के लिए अनुमति दे सकता है, और उसे कर के साथ-साथ उसपर देय ब्याज के भुगतान का निर्देश दे सकता है, जिसपर कर की कुल राशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से जुर्माना, और इससे संबंधित बकाया तिथि से लेकर उसके भुगतान की तिथि तक, अथवा कर-निर्धारण के आदेश, जो भी पहले हो, पर ब्याज लगा सकता है।

11. कर निर्धारण :-

(1) अगर विहित प्राधिकारी निबंधित निर्धारिती की उपस्थिति की आवश्यकता को समझे बगैर अथवा खाते की जानकारी प्रस्तुत करने पर अथवा उसके द्वारा अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने पर इस बात से संतुष्ट हो जाता है, कि ऐसे निर्धारिती द्वारा किसी नियत अवधि के लिए जमा किया गया विवरणी सही और संपूर्ण है, और वह उन प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के आधार पर ऐसे निर्धारिती पर बकाया कर के निर्धारण के लिए आदेश पारित करेगा।

(2) (क) अगर विहित प्राधिकारी, निबंधित निर्धारिती की उपस्थिति की आवश्यकता को समझे बगैर अथवा खाते की जानकारी प्रस्तुत करने पर अथवा उसके द्वारा अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने पर इस बात से संतुष्ट नहीं होता है, कि ऐसे निर्धारिती द्वारा किसी नियत अवधि के लिए जमा किया गया विवरणी सही और संपूर्ण है, और वह ऐसे निर्धारिती को निर्देशित विवरण के अनुरूप एक निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर स्वयं उपस्थित होकर अथवा ऐसे प्रमाणों को प्रस्तुत कर अथवा करवाकर निर्धारिती अपने समर्थन में भरोसा कायम कर सकता है।

(ख) सूचना में विहित तिथि अथवा इसके बाद जितनी जल्दी संभव हो, विहित प्राधिकारी, निबंधित विवरणी द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले प्रमाणों अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी कारणवश निर्देशित ऐसे अन्य किसी भी प्रमाण पर सुनवाई करने के बाद ऐसे निर्धारिती की बकाया कर राशि का मूल्यांकन कर सकता है।

(3) अगर किसी निबंधित निर्धारिती द्वारा संबंधित अवधि के लिए प्रस्तुत किया गया विवरणी उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना की सभी शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है, अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए खाते एवं अन्य प्रमाण, विहित प्राधिकारी की नजर में पूर्णतः या अंशतः असत्य, अपूर्ण अथवा अविश्वसनीय हैं, तो उक्त प्राधिकारी ऐसे निर्धारिती से बकाया कर की राशि का निर्धारण अपनी सर्वोत्तम विवेक के अनुसार करेगा।

(4) अगर निबंधित निर्धारिती किसी भी अवधि के संदर्भ में विवरणी दाखिल नहीं करता है तो, विहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारिती के पक्ष की सुनवाई के लिए समुचित मौका देने के बाद, ऐसे एसेसी की देय कर राशि का निर्धारण स्वयं के निर्णय के आधार पर कर लिया जाएगा।

(5) अगर जानकारी उपलब्ध कराने के बाद अथवा अन्यथा, विहित प्राधिकारी इससे संतुष्ट हो जाता है कि इस बात के पर्याप्त आधार हैं, जिसमें एसेसी अथवा निबंधित निर्धारिती के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति तत्संबंधी अवधि के लिए कर की अदायगी का इरादा रखता है, और उसने जान-बूझकर निबंधन के लिए आवेदन ना करने की कोशिश नहीं की है, ऐसी स्थिति में विहित प्राधिकारी निर्धारिती अथवा ऐसे व्यक्ति की सुनवाई के लिए पर्याप्त मौका देने के बाद, कर की राशि, अगर कोई हो, संबंधित अवधि के लिए और तत्संबंधी सभी अवधियों के लिए ऐसे एसेसी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पास बकाया राशि का निर्धारण स्वविवेक के आधार पर करेगा और विहित अधिकारी निर्धारिती अथवा अन्य व्यक्ति को यह निर्देश भी जारी करेगा कि वह कर की आकलित राशि के अतिरिक्त जुर्माने का भुगतान अथवा आकलित कर की राशि के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, उस अवधि के दौरान,

जिसमें निर्धारिती अथवा कोई अन्य व्यक्ति निबंधन के लिए आवेदन करने में असफल रहा है, उस अवधि के प्रत्येक दिन के हिसाब से पचास रुपए से अधिक नहीं, के साथ करे।

यह भी, ऐसे कर-निर्धारण की स्थिति में इससे संबंधित तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात कोई भी कर-निर्धारण नहीं होगा।

और यह भी कि इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी कार्यवाही प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष के अंदर पूरी कर ली जाएगी।

12. कर-निर्धारण के पूर्व आयातित वस्तु के प्रवेश की जानकारी को छिपाया जाना :-

(1) अगर विहित अधिकारी, किसी भी कार्यवाही के दौरान अथवा अन्यथा इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि किसी निर्धारिती ने:-

(क) इस अधिनियम के अंतर्गत अपने द्वारा देय कर की राशि को कम करने के इरादे से उपभोग अथवा उपयोग की गयी वस्तु की लागत अथवा इससे संबंधित जानकारियों को छिपाया है, अथवा

(ख) धारा 9 उपधारा (2) के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए विवरणी में उपयोग अथवा उपभोग की गयी वस्तु के मूल्य से संबंधित असत्य दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है,

ऐसी स्थिति में विहित प्राधिकारी ऐसे निर्धारिती के पक्ष की सुनवाई का समुचित मौका देने के बाद, लिखित रूप से एक आदेश जारी कर, धारा 11 के अंतर्गत आकलित अथवा आकलित की जानेवाली कर की राशि के अतिरिक्त जुर्माने के रूप में, उसे छिपाए गए कर अथवा असत्य जानकारियों पर, दोगुणे से अधिक नहीं, लेकिन कर की राशि के बराबर से कम नहीं, के भुगतान का निर्देश दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत जुर्माना, कर-निर्धारण पूरा होने और जुर्माने की राशि निर्धारित करने के पहले, विहित अधिकारी कर की राशि का अस्थायी निर्धारण कर सकता है।

13. प्रवेश कर से बचने के लिए कर-निर्धारण, अवकर-निर्धारण और लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ:-

(1) अगर जानकारी होने के बाद अथवा अन्यथा विहित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि किसी एसेसी द्वारा जमा किए जानेवाले कर में प्रवेश कर से बचने की कोशिश की है अथवा किसी कर का न्यूनतम निर्धारण किया है अथवा सही तरीके से देय राशि पर न्यूनतम दरों में कर का निर्धारण किया है, ऐसी स्थिति में विहित प्राधिकारी ऐसे एसेसी के पक्ष की सुनवाई का समुचित मौका देने के बाद, उस निर्धारिती द्वारा छिपायी गयी अथवा बचायी गयी राशि का पुनः कर-निर्धारण कर सकता है। धारा 11 के प्रावधान, चाहे जो भी हों, धारा 11 के अंतर्गत जारी की गयी सूचना के अनुरूप उसी प्रकार लागू होंगे।

(2) अगर विहित प्राधिकारी के पास इस बात को मानने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं, कि एसेसी ने इस्तेमाल की गयी अथवा बेची गयी वस्तु का, इस अधिनियम के अंतर्गत देय कर की राशि को छिपाने के इरादे से अवमूल्यन किया है, तो वह ऐसे किसी भी एसेसी को उपधारा (1) के अंतर्गत आकलित अथवा आकलित की जानेवाली कर की राशि के अतिरिक्त, जुर्माने के रूप में, दोगुणे से ज्यादा नहीं लेकिन कर की राशि के बराबर से कम नहीं, की राशि के भुगतान का निर्देश दे सकता है, जिसका कर-निर्धारण उक्त कर की छिपायी गयी राशि के आधार पर किया जाएगा।

इस धारा की उपधारा (1) अथवा (2) के अंतर्गत मूल कर-निर्धारण के जारी होने की तिथि से आठ वर्ष की समाप्ति अविध से पहले कोई भी कार्यवाही नहीं शुरू की जाएगी।

(3) किसी भी कर-निर्धारण अथवा पुनः कर-निर्धारण के संदर्भ में, जहाँ भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा कोई टिप्पणी की गयी है, और विहित प्राधिकारी उक्त टिप्पणी से संतुष्ट है, वह उस एसेसी का पुनः कर-निर्धारण करने पर विचार कर सकता है,

जिसके कर-निर्धारण अथवा पुनः कर-निर्धारण, चाहे जैसा भी मामला हो, के लिए उक्त टिप्पणियों की गयी हैं।

यद्यपि इस धारा के अंतर्गत कोई भी आदेश तबतक पारित नहीं किया जा सकता, जबतक कि निर्धारिती को उसके पक्ष की सुनवाई का समुचित मौका नहीं दिया गया हो।

हालांकि आगे यह भी कहा गया है कि अगर विहित प्राधिकारी इन लेखा आपत्तियों से संतुष्ट नहीं है तो : इस संबंध में आयुक्त की राय अथवा उनका दृष्टिकोण अंतिम रूप से मान्य होगा।

14. कर-निर्धारण की कार्यवाही पूरी किए जाने के लिए निर्धारित सीमावधि :-

धारा 11 की उपधारा (5) और धारा 13 की उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही के अतिरिक्त इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय कर की राशि के मूल्यांकन के लिए, उक्त अवधि की समाप्ति से लेकर समाप्ति के दो वर्ष पहले की अवधि को छोड़कर, इस संदर्भ में किसी भी अवधि के शुरू होने या इसके अंत तक कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

यद्यपि, किसी अपील, संशोधन और संदर्भ अथवा पुनरीक्षण पर किसी आदेश के जारी किए जाने पर अथवा इसके संदर्भ में पुनः मूल्यांकन की कोई भी कार्यवाही विहित प्राधिकारी को जारी किए गए आदेश संबंधी संपर्क की तिथि से लेकर समाप्ति की अवधि के दो वर्ष पहले तक आरंभ और पूरी की जा सकती है।

हालांकि आगे यह भी प्रावधान है कि कर-निर्धारण अथवा पुनः कर-निर्धारण जो भी मामला हो, के लिए निर्धारित तिथि की गणना के उस तिथि की गिनती नहीं की जाएगी जब ऐसी किसी कर-निर्धारण अथवा पुनः कर-निर्धारण की कार्यवाही फंसले के लिए रुकी हुई थी अथवा सक्षम अदालत के आदेश से रोक दी गयी थी।

15. कर-वापसी :- विहित प्राधिकारी द्वारा निर्देशित तरीके से और अन्यायपूर्ण कार्यवाही से बचते हुए निर्धारिती अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसपर इस अधिनियम के अंतर्गत कर की अदायगी देय है, और जिसने उस राशि से अधिक का भुगतान कर दिया है, ऐसी किसी भी राशि को वापस किया जा सकता है।

16. कर की वसूली :- (1) इस अधिनियम की धारा 3, 5, 11, 12 और 13 के अंतर्गत देया किसी प्रकार का जुर्माना और ब्याज सहित कोई भी कर की राशि अगर भुगतान नहीं की जाती है तो उसकी वसूली निम्नांकित तरीके से की जाएगी :-

(क) निर्धारिती द्वारा जमा किए गए विवरणी के अनुसार कर की बकाया राशि, जिसमें धारा 4 के अंतर्गत उक्त कर सहित ब्याज और जुर्माने का पूरा भुगतान नहीं किया गया है, अथवा

(ख) धारा 11 अथवा 12 अथवा 13 के अंतर्गत आकलित अथवा पुनः आकलित कर अथवा किसी अपील, संशोधन, संदर्भ अथवा पुनरीक्षण पर जारी किए गए आदेश के संदर्भ में अथवा इसके बाद अगर निर्धारिती ने कुल देय राशि, अगर कोई हो, से कम राशि जमा की है, अथवा

(ग) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अगर कोई जुर्माना लगाया गया है, तो इसे एसेसी द्वारा सरकारी खजाने में अथवा ऐसे किसी भी दूसरे तरीके से जमा किया जाना चाहिए जिसके लिए विहित प्राधिकारी द्वारा जारी की गयी अधिसूचना में उक्त तिथि को उल्लिखित किया गया है, और जिसके लिए उल्लिखित तिथि, सामान्य रूप से, उस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिन से कम ना हो।

यद्यपि, उस स्थिति में, जहाँ विहित प्राधिकारी इसे राज्य के राजस्व के हित के लिए आवश्यक समझता है, जिसके लिए किसी भी एसेसी अथवा व्यक्ति को भुगतान के लिए कहा गया है, और जिससे संबंधित कारणों को लिखित रूप से दर्ज कर लिया गया है।

(2) अगर कोई निर्धारिती बगैर किसी उचित कारण की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी अधिसूचना में उल्लिखित तिथि तक कर का भुगतान करने में असफल रहता है अथवा तत्संबंधी प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार अथवा इसी प्रकार धारा (5) की उपधारा (2) के अंतर्गत बढ़ायी गयी तिथि तक कर का भुगतान करने में असफल रहता है अथवा वह बढ़ायी गयी अंतिम तिथि तक किशतों के भुगतान नहीं कर पाता है, तो विहित प्राधिकारी उसे यह निर्देश जारी कर सकता है कि वह ऐसी असफलताओं के लिए, उक्त तिथि के समाप्त होने के पहले तीन महीने के अंदर एक धनराशि, जो कर की कुल राशि का पाँच प्रतिशत तक हो सकता है और इसके बाद प्रत्येक आगामी माह के लिए 10 प्रतिशत अथवा उसका आंशिक हिस्सा, विहित तरीके से जुमाने के रूप में जमा कर दे।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई भी अन्य कर, ब्याज अथवा जुर्माना, जिसका भुगतान उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी अधिसूचना में उल्लिखित तिथि के बाद भी नहीं किया जाता है अथवा उपधारा (2) के अंतर्गत लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं होता है तो वसूली की किसी अन्य तरीके को आजमाए बगैर इसकी वसूली इस प्रकार की जा सकती है:

(क) जैसे कि यह किसी भूमि राजस्व की बकाया राशि हो, अथवा

(ख) जैसे कि किसी न्यायिक दंडाधिकारी के पास अपील करने पर, उस दंडाधिकारी द्वारा उसपर कोई जुर्माना लगाया गया हो, और

(ग) किसी निर्धारिती के मामले में राज्य सरकार द्वारा एसेसी को देय धन राशि से उक्त राशि को घटा दिया गया हो।

17. वसूली की विशेष रीति :- (1) इस अधिनियम में वर्णित सभी निर्देशों के अतिरिक्त अथवा कोई कानून अथवा अनुबंध की स्थिति में, कर-निर्धारण अथवा पुनः कर-निर्धारण और कर की वसूली के लिए अधिकृत प्राधिकारी, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी समय लिखित सूचना (जिसकी एक प्रति निर्धारिती अथवा जिस व्यक्ति पर कर की देनदारी बनती है, को भी दी जाएगी) जारी कर यह निर्देश दे सकता है कि:-

(क) कोई भी व्यक्ति, जिसके पास एसेसी अथवा उस व्यक्ति के खाते की, जिसपर कर और ब्याज की देनदारी बनती है, कोई भी धनराशि मौजूद है अथवा आगे हो सकती है, अथवा

(ख) कोई भी व्यक्ति, जिसके पास निर्धारिती अथवा उस व्यक्ति के खाते की, जिसपर कर और ब्याज की देनदारी बनती है, कोई भी धनराशि बकाया है अथवा आगे हो सकता है, और जिसने माँग की अधिसूचना में निर्धारित तिथि तक भुगतान करने में असफल रहा है, तो उक्त माँग की अधिसूचना के अनुसार ऐसे एसेसी अथवा व्यक्ति, जिसके संदर्भ में किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई भी तिथि आगे नहीं बढ़ायी गयी है, को देय कर अथवा ब्याज की राशि का भुगतान, या तो तत्काल अथवा जिस तिथि को राशि बकाया होती है, उतनी धनराशि एसेसी अथवा जिस व्यक्ति पर कर देय है, उतनी राशि सरकारी खजाने में उसी प्रकार करना होगा, जैसा कि कर के भुगतान के लिए निर्देशित किया गया है।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करनेवाला प्राधिकारी, किसी भी समय, ऐसी किसी अधिसूचना को संशोधित या रद्द कर सकता है और अधिसूचना के संदर्भ में भुगतान की तिथि को आगे बढ़ा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी अधिसूचना के संदर्भ में किसी प्रकार का भुगतान करता है उसके संदर्भ में यह समझा जाएगा कि उसने एसेसी के प्राधिकार के अंतर्गत उस राशि का भुगतान किया है और सरकार के राजकोष से उसे इसके लिए रसीद की प्राप्ति हुई है, जिसमें वह अधिकतम राशि उल्लिखित है जो निर्धारिती के साथ उस व्यक्ति के देनदारी से मुक्त होने का पर्याप्त और अच्छा विकल्प है।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी अधिसूचना के बाद भी अगर अपनी देनदारी से मुक्त नहीं होता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से राज्य सरकार को कर अथवा जुमाने की राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) अगर वह राशि, जिसके लिए किसी व्यक्ति पर उपधारा (4) के अंतर्गत राज्य सरकार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भुगतान करने की जवाबदेही तय हुई है, और इस राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसकी वसूली उस व्यक्ति से बकाया भूमि राजस्व के रूप में की जाएगी।

(6) अगर कोई व्यक्ति इस धारा की उपधारा (4) के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों में से किसी का भी उल्लंघन करता है, तो विहित प्राधिकारी इस मामले की सुनवाई के लिए लिखित रूप से समुचित अवसर देने के बाद यह निर्देश जारी कर सकता है कि उसे उपधारा (1) के अंतर्गत भुगतान की जानेवाली राशि के दोगुने से ज्यादा नहीं, का भुगतान जुर्माने के रूप में करना होगा।

18. व्यवसाय के हस्तांतरण की स्थिति में कर अदायगी की जवाबदेही :- (1) जब एसेसी के व्यवसाय का मालिक इस अधिनियम के अंतर्गत कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है, और वह अपने व्यवसाय का संपूर्ण हस्तांतरण करता है तो, हस्तांतरण करने वाला और जिसके नाम हस्तांतरण हो रहा है, दोनों संयुक्त रूप से और हर हाल में उक्त व्यवसाय के संदर्भ में कर और जुर्माना, अगर कोई हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और अगर हस्तांतरण के समय तक ऐसा नहीं किया जाता है तो हस्तांतरण प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वयं भी हस्तांतरण की तिथि को या उसके बाद और आगे जब कभी वह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है, जबतक कि उसके पास पहले से ऐसा कोई प्रमाणपत्र मौजूद नहीं है, वह हस्तांतरणकर्ता द्वारा की जानेवाली बिक्री अथवा उपभोग के लिए कर का भुगतान करने के प्रति उत्तरदायी होगा।

(2) धारा 7 के अंतर्गत दूट दिए जाने के संदर्भ में, जब कोई एसेसी या एसेसी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत कर भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है, अगर वह व्यवसाय के मालिकाना हक अथवा व्यवसाय का आंशिक हस्तांतरण करता है तो हस्तांतरणकर्ता उस हिस्से के हस्तांतरित व्यवसाय के लिए कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

19. धारा 3 और 5 के अंतर्गत कर के भुगतान के प्रति जवाबदेह व्यक्ति की भंग कंपनी अथवा उसके संघ का दायित्व :- जहाँ एसेसी या कोई अन्य व्यक्ति, जिसपर धारा 3 और 5 के अंतर्गत कर के भुगतान के प्रति जवाबदेही बनती है, और उस फर्म अथवा व्यक्तियों के संघ को भंग या समाप्त कर दिया जाता है, चाहे जो भी मामला हो,

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसी फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा देय कर की स्थिति में ऐसी आकलित विघटन अथवा भंग करने की संभावित तिथि तक, अगर विघटन या भंग करने की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया जाता है, तो इस अधिनियम के अनुसार सभी प्रावधान उनपर उसी प्रकार लागू होंगे, और

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसी विघटन अथवा भंग करने की प्रक्रिया को अंजाम देते समय उस फर्म का सदस्य अथवा साथी अथवा व्यक्तियों का संघ, जो उस विघटन या भंग करने की प्रक्रिया के बावजूद अपनी जवाबदेही नहीं पूरी करता है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसी फर्म अथवा व्यक्तियों के समूह को संयुक्त रूप से कर सहित जुर्माना, अगर कोई हो, का भुगतान करना होगा, चाहे ऐसी विघटन अथवा भंग किए जाने की प्रक्रिया के पहले अथवा बाद में किसी प्रकार का मूल्यांकन किया गया हो अथवा नहीं।

20. अपील :- (1) कोई एसेसी अथवा अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अथवा इसमें दिए गए प्रावधानों अंतर्गत जुर्माने के साथ या जुर्माने के बगैर पास किए गए मूल्यांकन अथवा पुनः

मूल्यांकन के आदेश का, विहित अवधि के अंदर और निर्देशित तरीके से विरोध करता है, तो ऐसे मूल्यांकन अथवा पुनः मूल्यांकन अथवा जुर्माने अथवा दोने के आदेश के विरोध में विहित प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है।

यद्यपि, उस स्थिति में ऐसे प्राधिकारी द्वारा किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा जबतक कि उसे यह पुष्टि नहीं हो जाएगी कि आकलित कर का बीस प्रतिशत अथवा उतनी राशि का कर, जैसा कि अपीलकर्ता स्वीकार करता है कि उसके पास बकाया है, जो भी ज्यादा हो, उस राशि का भुगतान कर दिया गया है।

(2) ऐसे प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि निर्देशित किया गया हो सकता है, अपील की सुनवाई करनेवाला अधिकारी, उपधारा (1) के अंतर्गत उस अपील के मामले का निपटारा इस प्रकार सकता है -

(क) मूल्यांकन अथवा जुर्माने के आदेश, अथवा दोनों की, पुष्टि कर सकता है, कम कर सकता है, बढ़ा सकता है अथवा रद्द कर सकता है, अथवा

(ख) उस मूल्यांकन अथवा जुर्माने के आदेश, अथवा दोनों को दरकिनार कर कर-निर्धारण करनेवाले प्राधिकारी को, तत्संबंधी जानकारी प्राप्त करने के बाद, नए सिरे से कर-निर्धारण करने का निर्देश दे सकता है, जैसा कि अपील की सुनवाई करने वाले प्राधिकारी ने निर्देशित किया होगा।

21. पुनरीक्षण :- (1) उन निर्देशित प्रावधानों के अनुसार, जिसे इस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत की गयी अपील के बाद जारी किया गया है, आवेदन करने पर न्यायाधिकरण द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकता है।

(2) उपरोक्त विषयक इस अधिनियम के अंदर पारित किया गया कोई भी प्रावधान अथवा इसके अंतर्गत बनाया गया कोई भी नियम, जो उस आदेश से अलग है जिसके विरोध में धारा 20 के अंतर्गत अपील दायर की गयी है, आवेदन करने पर इसे संशोधित किया जा सकता है -

(ए) संबंधित प्रमण्डल के संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) द्वारा, जब उक्त आदेश को उपायुक्त के स्तर से अधिक किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, और

(बी) न्यायाधिकरण द्वारा, जब उक्त आदेश को आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त द्वारा जारी किया गया है।

(3) आयुक्त : आवेदन करने पर अथवा स्वेच्छा से, इस अधिनियम या इसमें दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत अपने किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश को संशोधित कर सकता है,

यद्यपि, आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त द्वारा एसेसी के आवेदन पर कर-निर्धारण के किसी भी आदेश को तबतक संशोधित नहीं किया जाएगा जबतक कि धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत ऐसे आदेश के संदर्भ में पहले से कोई आदेश जारी नहीं किया गया हो।

हालांकि, यह प्रावधान भी है कि इस अधिनियम के अंतर्गत आयुक्त द्वारा, विहित प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी मूल्यांकन अथवा जुर्माना अथवा दोनों लगाने पर संशोधन के लिए किए गए आवेदन पर, ऐसे एसेसी/व्यक्ति को आकलित कर के दस प्रतिशत से अधिक नहीं, की राशि अथवा लगाया गया जुर्माना अथवा दोनों जमा करने का निर्देश दिया जा सकता है।

(4) इस धारा के अंतर्गत कोई भी आदेश तबतक पारित नहीं किया जा सकता है जबतक कि अपीलार्थी, और साथ ही जिस प्राधिकारी के आदेश को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है, अथवा उसके किसी प्रतिनिधि के पक्ष की सुनवाई के लिए मौका नहीं दिया गया हो।

22. पुनर्विलोकन :- इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार धारा 2 के साथ धारा 7 भी पढ़े, के अनुच्छेद (सी) और (आर) में वर्णित कोई

प्राधिकारी अथवा ट्राइब्यूनल ऐसे किसी आदेश की समीक्षा कर सकता है, अगर वह समीक्षा उक्त प्राधिकारी अथवा ट्राइब्यूनल के दृष्टिकोण में, चाहे जैसा भी मामला हो, इसमें त्रुटि की वजह से रिकार्ड में लेने योग्य ना होने पर आवश्यक हो।

यद्यपि, ऐसी कोई भी समीक्षा पर विचार नहीं होगा, जिसके अंदर कर अथवा जुर्माना अथवा दोनों को बढ़ाने अथवा रिफंड को कम करने की गुंजाइश हो, जबतक कि उक्त प्राधिकारी अथवा न्यायाधिकरण द्वारा, चाहे जैसा भी मामला हो, निर्धारिती को उसके पक्ष की सुनवाई के लिए पर्याप्त मौका ना दिया गया हो।

23. न्यायिक क्षेत्राधिकार :- यद्यपि, जैसाकि धारा 20, 21, 22 और 25 के प्रावधानों में उल्लिखित है, इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किया गया कोई भी आदेश अथवा की गयी कोई भी कार्रवाई, इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त अथवा तैयार किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कोई नियम या जारी की गयी कोई सूचना, को किसी भी अदालत में कार्रवाई के लिए बुलाया जा सकता है, और जैसा कि उक्त धारा के प्रावधानों में उल्लिखित है, ऐसे किसी भी आदेश के विरोध में कोई भी अपील नहीं की जा सकती है।

24. इन्डेमिटी :- इस अधिनियम की धारा 2 और 7 के अनुच्छेद (सी) और (आर) में उल्लिखित कोई भी सरकारी कर्मचारी, अथवा कोई अधिकारी अथवा अथवा व्यक्ति पर कोई भी सम्मन, सुनवाई अथवा अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, जिसमें इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किसी की भलाई के लिए अथवा भलाई की मंशा छिपी है।

25. उच्च न्यायालय को भेजे गए मामले का विवरण :- (1) धारा 20 के अंतर्गत किसी भी आदेश के न्यायाधिकरण द्वारा पारित होने के 90 दिनों के अंदर, वह निर्धारिती जिसके संदर्भ में आदेश पारित किया गया है, अथवा आयुक्त, लिखित आवेदन देकर, एक हजार रुपए के शुल्क सहित, जहाँ ऐसा आवेदन एसेसी द्वारा किया गया है, अगर ऐसे आदेश से कानून के उल्लंघन का कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है, जिसके लिए न्यायाधिकरण को उच्च न्यायालय में रेफर किए जाने की आवश्यकता महसूस होती है।

(2) अगर, लिखित रूप से दर्ज किए जानेवाले कारणों से, न्यायाधिकरण उन संदर्भों पर विचार करने से मना कर देता है, तो आवेदनकर्ता, ऐसे आदेश के पारित होने के 45 दिनों के अंदर, या तो -

(ए) अपना आवेदन वापस ले सकता है अथवा जो आवेदनकर्ता ऐसा करता है, एक एसेसी है, उसके द्वारा जमा कराया गया फीस उसे वापस कर दिया जाएगा, अथवा

(बी) ऐसी अस्वीकृतियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर किया जा सकता है।

(3) अगर उपधारा (2) के अनुच्छेद (बी) के अंतर्गत किसी आवेदन की प्राप्ति पर उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं होता है कि यह अस्वीकृति जायज है, इसके लिए न्यायाधिकरण को एक केस दायर करने और इसे उच्च न्यायालय को अग्रसारित करने को कह सकता है, और ऐसी याचिका के प्राप्त होने पर न्यायाधिकरण द्वारा केस दायर करने के बाद बताए गए अनुसार इसे अग्रसारित कर दिया जाएगा।

(4) अगर उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अग्रसारित किया गए किसी मामले में, की गयी टिप्पणियाँ, इसके संदर्भ में सवाल खड़े किए जाने के लिए पर्याप्त कारण बनती हैं, तो यह मामले को वापस न्यायाधिकरण के पास इस संदर्भ में ऐसी कोई टिप्पणी जोड़ सकती है या इसमें सुधार कर सकती है, जैसा कि अदालत ने दस मामले में निर्देशित किया है।

(5) उच्च न्यायालय ऐसे किसी भी मामले में सुनवाई के समय यह तय कर सकती है कि इसके संदर्भ में कानून के उल्लंघन का सवाल खड़ा होता है, और वह इस संदर्भ में अपना फैसला सुना सकती है, जिसमें उन आधारों का जिक्र होगा जिसपर यह निर्णय लिया

गया है, और साथ ही इस फैसले की एक प्रति अदालत की मुहर और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर के साथ न्यायाधिकरण को भेज सकती हैं, और तब न्यायाधिकरण, फैसले की टिप्पणियों के अनुसार जहाँ आवश्यक होगा, अपने आदेश में संशोधन कर सकता है।

(6) इस धारा के अंतर्गत जहाँ उच्च न्यायालय को कोई संदर्भ दिया गया है, उपधारा (1) में संदर्भित लागत सहित फीस का भुगतान, अदालत के निर्देश के अनुसार होगा।

(7) कर की राशि का भुगतान, जुर्माना सहित, अगर कोई हो, इसे न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार, जिसके संदर्भ में इस धारा के अंतर्गत कोई आवेदन किया गया है, तो ऐसे आवेदन अथवा इससे संबंधित किसी संदर्भ में भुगतान को लंबित नहीं रखा जा सकता है।

(8) न्यायाधिकरण अथवा उच्च न्यायालय इस धारा में निर्देशित अवधि की सीमा समाप्त होने पर इस धारा के अंतर्गत एक याचिका दायर कर सकता है, अगर वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि आवेदनकर्ता के पास ऐसे पर्याप्त कारण मौजूद हैं, जिसके चलते उसने अपना आवेदन निर्धारित अवधि के अंदर नहीं जमा कराया है।

26. सामग्रियों का आवागमन :- इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम 05) और इसमें वर्णित प्रावधानों के अनुसार, जहाँ तक अनुसूचीबद्ध वस्तुओं के आवागमन का संबंध है, उक्त अधिनियम की धारा 70 और 72 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, आपस में एक दूसरे पर लागू होगा।

27. कंपनी द्वारा किए गए अपराध :- (1) इस अधिनियम या इसके प्रावधानों के अंतर्गत अगर एसेसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो, उस अपराध को अंजाम देते समय वहाँ मौजूद प्रत्येक व्यक्ति, जो वहाँ का इंचार्ज होगा, और कंपनी और उस कंपनी और उसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा, उसके साथ-साथ कंपनी भी उस अपराध के लिए दोषी होगी, और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार उसे इसकी सजा दी जाएगी।

यद्यपि, इस उपधारा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो ऐसे किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम में उल्लिखित किसी सजा से छुटकारा दिला सकता है, अगर वह प्रमाणित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बगैर किया गया है अथवा उसने ऐसे अपराध को रोकने की हर संभव कोशिश की है।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित किसी प्रावधान के बावजूद, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी एसेसी कंपनी द्वारा किसी अपराध को अंजाम दिया गया है, और यह साबित हो गया है कि अपराध को किसी खास उद्देश्य के लिए अथवा जान-बूझकर अंजाम दिया गया है, अथवा कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की अकर्मण्यता के कारण ऐसा संभव हुआ है, तो वह भी इस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर इसके अनुसार सजा दिलायी जा सकती है।

व्याख्या : इस धारा में लागू किए जाने के उद्देश्य से :-

(ए) "कंपनी" का अर्थ है जैसा कि इस अधिनियम के अंतर्गत पारिभाषित किया गया है, और

(बी) फर्म से संबंधित कोई "निदेशक" का अर्थ है फर्म का पार्टनर।

28. अपराध एवं शास्तियाँ :- जैसा कि धारा 29 में उल्लिखित है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दी जानेवाली सजा में कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा और जुर्माना भी इसी प्रकार लगाया जाएगा।

(1) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अंतर्गत देय कर के मामले में जान-बूझकर कोई झूठा विवरणी प्रस्तुत करता है, तो उसपर मुकदमा चला उसे सजा दी जा सकती है -

(i) ऐसे मामलों में, जिसके झूठे विवरणी को सही मानकर स्वीकृति दे दी जाती, तो देय कर की राशि छूट जा सकती थी, और यह राशि अगर पच्चीस हजार रुपए से अधिक हो जाती है, और साथ ही इसकी सजा के रूप में उसे छः महीने से कम नहीं की कैद, जिसे 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, अथवा पाँच हजार रुपए से अधिक नहीं का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।

(ii) किसी भी अन्य मामले में, जहाँ एक निश्चित अवधि के लिए सजा तय की गयी है, और जो तीन महीने से कम नहीं है, और जिसे छः महीने तक आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा जुर्माना अथवा दोनों लगाया जा सकता है।

(2) जो कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अंतर्गत देय कर को छिपाने के लिए जान-बूझकर झूठा विवरणी प्रस्तुत करता है, उसपर कानूनी कार्रवाई कर उसे सजा दिलायी जा सकती है—

(i) ऐसे मामलों में, जिसके झूठे रिटर्न को सही मानकर स्वीकृति दे दी जाती, तो देय कर की राशि छूट सकती थी, और यह राशि अगर पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है, और साथ ही इसकी सजा के रूप में उसे छः महीने से कम नहीं की कैद, जिसे 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, अथवा पाँच हजार रुपए से अधिक नहीं का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।

(ii) किसी भी अन्य मामले में, जहाँ एक निश्चित अवधि के लिए सजा तय की गयी है, और जो तीन महीने से कम नहीं है, और जिसे छः महीने तक आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा जुर्माना अथवा दोनों लगाया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जान-बूझकर अपने द्वारा उपयोग अथवा उपभोग की गयी वस्तुओं के मूल्य का झूठा खाता रखता है, उसपर कानूनी कार्रवाई कर उसे सजा दिलायी जा सकती है, और उसे तीन महीने से कम नहीं की कैद, जिसे 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, अथवा उसपर पाँच हजार रुपए से अधिक नहीं का जुर्माना अथवा दोनों लगाया जा सकता है।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो जान-बूझकर असत्य लेखा, रजिस्टर, अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करता है, और जान-बूझकर असत्य जानकारीयों उपलब्ध कराता है, उसपर कानूनी कार्रवाई कर उसे सजा दिलायी जा सकती है—

(i) ऐसे मामलों में जहाँ अगर ऊपर उल्लिखित एकाउंट, रजिस्टर, अथवा दस्तावेज अथवा जानकारियों को सही मानकर स्वीकार कर लिया जाता तो देय कर की राशि को छिपा लिया जा सकता था। अगर ऐसे मामलों में 1 वर्ष की अवधि के दौरान यह राशि अगर पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है, इसकी सजा के रूप में उसे छः महीने से कम नहीं की कैद, जिसे 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, अथवा पाँच हजार रुपए से अधिक नहीं का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।

(ii) किसी भी अन्य मामले में, जहाँ एक निश्चित अवधि के लिए सश्रम कैद की सजा तय की गयी है, और जो तीन महीने से कम नहीं है, और जिसे एक वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा जुर्माना अथवा दोनों लगाया जा सकता है।

(5) जो कोई भी व्यक्ति :-

(i) जो चाहे किसी भी तरीके से, जान-बूझकर, इस अधिनियम के अंतर्गत देय किसी भी कर को छिपाने की कोशिश करता है, अथवा

(ii) जो चाहे किसी भी तरीके से, जान-बूझकर, इस अधिनियम के अंतर्गत देय किसी भी प्रकार के कर, जुर्माने, अथवा ब्याज अथवा इन सभी को छिपाने की कोशिश करता है, उसपर कानूनी कार्रवाई कर उसे सजा दिलायी जा सकती है -

(ए) ऐसे मामलों में, जहाँ 1 वर्ष की अवधि के दौरान यह राशि अगर पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है, इसकी सजा के रूप में उसे छः महीने से कम नहीं की कैद, जिसे 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, अथवा दस हजार रुपए से अधिक नहीं का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है,

(बी) किसी भी अन्य मामलों में, जहाँ तीन महीने से कम नहीं के कैद की सजा तय की गयी है, और जिसे एक वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा जुर्माना अथवा दोनों लगाया जा सकता है,

(6) जो कोई भी व्यक्ति, उपधारा (1) से (5) तक में उल्लिखित किसी कार्यवाही के लिए उकसाता है अथवा मदद करता है अथवा दबाव डालता है, उसपर कानूनी कार्रवाई कर उसे सश्रम कैद की सजा दिलवायी जा सकती है, जो तीन महीने से कम नहीं होगी, और जिसे एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, अथवा उसपर दो हजार रुपए से अधिक नहीं का जुर्माना अथवा दोनों लगाया जा सकता है।

(7) जो कोई भी व्यक्ति बगैर किसी पर्याप्त कारण के, इस अधिनियम के अंतर्गत निर्देशित तरीके से निर्धारित तिथि तक कोई भी विवरणी जमा करने में असफल रहता है, उसपर कानूनी कार्रवाई कर उसे सामान्य कैद की सजा दिलवायी जा सकती है, जिसे छः महीने तक आगे बढ़ाया जा सकता है, अथवा उसपर दस हजार रुपए से कम नहीं का जुर्माना लगाया जा सकता है।

(8) छिपाया गया कर अथवा जिस कर को छिपाने का प्रयास किया गया, अगर उसकी कुल राशि एक वर्ष की अवधि के दौरान पाँच हजार रुपए से कम रहती है, तो उपधारा (1) से (7) में उल्लिखित प्रावधानों के बावजूद इस प्रकार के संदर्भित कृत्यों के लिए ऐसे किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(9) ऐसे मामलों में जहाँ, निर्धारित को उपधारा (1) से (8) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया है, ऐसे एसेसी के व्यवसाय से जिस व्यक्ति को मैनैजर नियुक्त किया गया है, वह भी उक्त अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है, जबतक कि वह व्यक्ति यह प्रमाणित नहीं कर देता कि अपराध को उसकी जानकारी के बगैर अंजाम दिया गया है अथवा उसने इस अपराध को रोकने की हर संभव कोशिश की है।

(10) इस धारा के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए की जानेवाली सुनवाई, जिसके लिए आरोपित व्यक्ति की मानसिक स्थिति की जाँच आवश्यक है, अदालत यह मानकर चलेगी कि ऐसी मानसिक स्थिति हो सकती है, लेकिन यह केवल आरोपित व्यक्ति के बचाव के लिए होगा, ताकि वह इस तथ्य का प्रमाण जुटाए कि असल में उसकी मानसिक स्थिति वैसी नहीं है, जिसके लिए सुनवाई के दौरान उसपर आरोप लगाए गए हैं।

(14) आयुक्त द्वारा पूर्व में दी गयी संस्तुति को छोड़कर कोई भी अदालत इस भाग अथवा इसके दिए गए नियमों के अंतर्गत किसी अपराध पर संज्ञान नहीं लेगा, और ना ही इससे निचली अदालत, जो प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी हो सकता है, ऐसा करेगी।

व्याख्या : इरादतन मानसिक अवस्था में शामिल है, इरादा, उद्देश्य अथवा तथ्यों की जानकारी अथवा किसी तथ्य पर विश्वास, अथवा विश्वास का कोई कारण, और ऐसा कोई तथ्य जिसे तभी प्रमाणित माना जाएगा जब अदालत को इसके बारे में यह विश्वास हो जाएगा कि यह किसी समुचित संदेह के दायरे से बाहर है, और ना ही ऐसा किसी भ्रमित करनेवाली संभावना को दर्शाने के लिए किया गया है

29. अपराधों का प्रशमन : (1) विहित प्राधिकारी धारा 27 के अंतर्गत अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के तहत किसी दण्डनीय अपराध पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने के पहले अथवा बाद में, ऐसे किसी अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति से, जिसके लिए धारा 27 की उपधाराओं (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) और (9) के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं, देय कर की राशि के दोगुने से ज्यादा नहीं, अथवा पच्चीस हजार रुपए, जो

भी न्यूनतम हो, की धनराशि जिसका संबंध उस अपराध से है, कर के रूप में जमा किया जा सकता था, स्वीकार कर सकता है।

(2) ऐसी किसी भी धनराशि का भुगतान कर देने पर, जिसे आयुक्त द्वारा उप धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, उक्त अपराध के संदर्भ में आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध आगे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, और अगर, पहले से कोई, कार्रवाई चल रही है तो वह समाप्त कर दी जाएगी।

30. किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में किसी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना :- (1) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत चल रही किसी कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में एपीलेट न्यायाधिकरण सहित किसी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है अथवा उपस्थित होने को कहा गया है, अन्यथा जब उसे व्यक्तिगत रूप से किसी शपथ परीक्षण अथवा बयान देने के लिए बुलाया गया हो, उसके स्थान पर उपस्थित हो सकता है -

(ए) उसका कोई संबंधी अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जो उसके द्वारा पूर्णकालिक अथवा नियमित नियुक्ति में हो, अथवा

(बी) कोई कानूनी जानकार, अथवा वकील, अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट, जिसे आयुक्त द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, अथवा

(सी) बिक्री कर का जानकार अथवा सामान्य कर का जानकार कोई व्यक्ति, जिसे झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 05 और झारखंड मूल्य वर्धित कर प्रणाली 06 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त किया गया है।

सिर्फ तभी जब ऐसा संबंधी, नियुक्त किया गया व्यक्ति, कानूनी जानकार, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, बिक्री कर का जानकार अथवा सामान्य करों का जानकार, जिसे उस व्यक्ति ने विहित प्रपत्र में अधिकृत किया है, और ऐसे प्राधिकार में इस प्रकार की किसी कानूनी कार्रवाई के मामले में उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने का अधिकार शामिल है।

31. नियमावली बनाने की शक्तियाँ :- (1) सरकारी राजपत्र में पहले प्रकाशित की गयी अधिसूचना की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार इस अधिनियम के सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के तुरंत बाद जितनी जल्दी संभव हो, इसे विधानमंडल के दोनों सदनों में, जब 14 दिनों की कुल अवधि के लिए इनका सत्र चल रहा हो, किसी एक सत्र अथवा दो लगातार सत्रों में प्रस्तुत किया जा सकता है, और अगर सत्र की समाप्ति के पहले, जिसमें इस प्रस्ताव को रखा गया, अथवा ऐसे किसी सत्र के तुरंत बाद, जब दोनों सदन इस नियमावली में किसी प्रकार का सुधार करने पर सहमत हों अथवा दोनों सदन इस बात से सहमत हैं कि ऐसे नियम नहीं बनाए जाएं, तो ये नियम इसके बाद केवल संशोधित रूप में ही प्रभावी हो सकेंगे अथवा होंगे अथवा प्रभावी नहीं हो सकेंगे, चाहे जैसा भी मामला हो। यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन अथवा निरस्तीकरण, इस नियमावली के अंतर्गत पहले की किसी मान्यता को ध्यान में रखे बगैर किया जा सकता है।

32. निरसन और व्यावृत्तियाँ :- (1) झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 11 और इससे संबंधित अनुसूची को उक्त अधिनियम के साथ संलग्न कर और इसके संदर्भ में बनाए गए नियम और इसके अंतर्गत जारी की गयी अधिसूचना को एतद् द्वारा इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से रद्द किया जाता है और इसे यहाँ "रद्द धारा" के अंतर्गत संदर्भित किया गया है :-

(2) निरसित धारा द्वारा लागू नहीं होगा :-

(ए) निरसन के लागू होने के समय ऐसे किसी भी आदेश को पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा जो पहले से लागू ना हो अथवा जिसका कोई अस्तित्व ना हो, अथवा

(बी) कोई भी अधिकार, शीर्षक, दायित्व, अथवा जवाबदेही, जो निरसन के लागू होने के ठीक पहले के संदर्भ में किसी भी कार्य के लिए दर्ज, शामिल अथवा खर्च की गयी कोई भी राशि पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

(सी) इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए किसी भी अपराध अथवा हिंसक कृत्य के संदर्भ में किसी भी प्रकार, प्रकार के जुर्माने, जब्ती अथवा दंड पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

(डी) निरसित धारा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की जाँच, पूछताछ, मूल्यांकन, कार्यवाही, कोई अन्य कानूनी कार्रवाई अथवा अपनाया गया, जारी अथवा लागू कोई युक्ति, और उपरोक्त के अनुसार ऐसा कोई जुर्माना, दंड अथवा सजा अथवा कोई कानूनी कार्रवाई अथवा निरसित धारा के अंतर्गत आजमायी गयी, जारी अथवा लागू युक्ति, जिन्हें इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत लागू किया गया है, वह यथावत प्रभावी रहेगा।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत दी गयी सीमाएं तदनुसार लागू होंगी, और इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से पहले उठाए गए सभी मुद्दे और सभी तरह की गतिविधियाँ, इस निरसित धारा में मौजूद प्रावधानों अथवा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत संचालित होंगी।

33. विधिमाम्यकरण एवं विमुक्ति :- (1) ऐसा कोई एसेसी जो निरसित धारा के अंतर्गत उस स्थिति में आगे भी कर की अदायगी के लिए उत्तरदायी है, जब अधिनियम लागू नहीं होता, उसे इस अधिनियम के उद्देश्य से एक निबंधित निर्धारिती समझा जाएगा।

(2) इस अधिनियम में कहीं भी वर्णित किसी भी प्रावधान के बावजूद -

(ए) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आयुक्त, उप आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जिसे रद्द अधिनियम के अंतर्गत आयुक्त का अधीनस्थ सहयोगी बनाया गया है, और वह नियुक्ति की तिथि से ठीक पहले नियमित रूप से कार्यालय में आता है, वह इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्ति की तिथि के बाद आगे भी नियुक्त रह सकता है और वह उसी प्रकार कार्यालय में अपना योगदान देता रहेगा।

(बी) कोई भी एसेसी जो निरसित अधिनियम के अंतर्गत निर्देशित तिथि के ठीक पहले अपना रिटर्न जमा करने के लिए उत्तरदायी है, इसके बावजूद कि निर्देशित तिथि के ठीक बाद, जिसके लिए वह कर की अदायगी का उत्तरदायी है, ऐसी निर्देशित तिथि के एक दिन पहले और एक दिन बाद, वस्तुओं के उपयोग अथवा उपभोग के संदर्भ में अपना विवरणी उस निर्देशित तिथि के ठीक पहले जमा कर देता है, और निरसित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने कर का भुगतान कर देता है, और शेष राशि के लिए, उस निर्देशित तिथि से शुरू होने वाली अवधि के लिए, अपने द्वारा उपयोग अथवा उपभोग में लायी हुई वस्तुओं के लिए अलग से एक विवरणी जमा करता है, और साथ ही इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विवरणी के साथ अपने बकाया कर का भी भुगतान कर देता है।

(सी) आयुक्त द्वारा किसी भी पद के लिए नियुक्त व्यक्ति को दिया गया ऐसा कोई आदेश, जिसमें निरसित अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत दिए गए नियमों के तहत कोई अधिकार दिया गया है, कि वह निर्धारित तिथि के ठीक पहले उसके अधीनस्थ कार्य करेगा, उस निर्धारित तिथि को और उस दिन से, निर्धारित तिथि के एक दिन पहले उस दिन तक लागू रहता है, जबतक कि आयुक्त द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत उस निर्धारित तिथि के बाद ऐसे किसी आदेश में कोई संशोधन, बदलाव या निरस्त नहीं किया जाता है।

(डी) ऐसा कोई निर्धारिती, जो इस निरसित अधिनियम के अंतर्गत कर जमा करने के लिए अब उत्तरदायी नहीं है, और जिसके अकाउंट, रजिस्टर और दस्तावेजों को निरसित अधिनियम के अंतर्गत सीज कर लिया गया है, वह हटाए गए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित तिथि को अथवा इसके बाद आगे भी इसी स्थिति में रहेगा।

(ई) निरसित अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत सभी विहित प्रपत्र निर्देशित तिथि के ठीक पहले उस दिन लागू रहेगा और उस निर्देशित तिथि से उन्हें उसी प्रकार उन्हीं उद्देश्यों के लिए अमल में जाया जाएगा, जबतक कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर तत्संबंधी कोई निर्देश नहीं देती। ऐसे प्रपत्रों को उस तिथि से अमान्य कर दिया जाए, जिसके लिए राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर इसके लिए निर्देशित नहीं कर देती।

(एफ) निर्धारिती द्वारा किसी विहित प्रधिकारी से प्राप्त अथवा प्राप्त किए जाने योग्य कोई भी विहित प्रपत्र अथवा कोई भी घोषणा, जिसे एसेसी द्वारा इस निरसित अधिनियम के अंतर्गत अथवा इसमें दिए गए नियमों के अनुसार, जो किसी भी उपयोग अथवा उपभोग की गयी वस्तु के लिए है, निर्देशित तिथि के पहले मान्य होगा, जहाँ से ऐसा विहित प्रपत्र प्राप्त किया जाता है, अथवा ऐसा विहित प्रपत्र जो ऐसी निर्देशित तिथि को अथवा इसके बाद प्रस्तुत किया जाता है।

(जी) निर्देशित तिथि से पहले पास किए गए किसी भी आदेश में संशोधन, समीक्षा, या संदर्भ का कोई आवेदन, अथवा ऐसी निर्देशित तिथि से पहले किए गए कर के मूल्यांकन की किसी अपील अथवा रिफंड का कोई आवेदन अथवा विहित प्रपत्र के लिए, जो वैसी निर्देशित तिथि के पहले की अवधि के संदर्भ में, अगर वैसी निर्देशित तिथि से पहले कोई रद्द अधिनियम बनता है, और जो वैसी निर्देशित तिथि को लंबित रहता है, और वैसा करने पर उस निर्देशित तिथि को डिस्पोज कर दिया जाता है, अथवा जो निरसित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होता है,

(एच) आयुक्त अथवा कोई अन्य अधिकारी जिसे इस संदर्भ में आयुक्त द्वारा अधिकार दिया गया है, निरसित अधिनियम के अंतर्गत इसपर या अपने निर्णय से, निरसित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्देशित तिथि से पहले पास किए गए किसी भी आदेश की समीक्षा या संशोधन करता है,

(आई) निरसित अधिनियम के अंतर्गत कोई भी कर मूल्यांकन अथवा लगाया गया जुर्माना जो वस्तु के उपयोग अथवा उपभोग की स्थिति में लगाया गया है, अथवा निर्देशित तिथि के पहले निरसित अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार देय हो सकता है अथवा इसकी वसूली की जा सकती है।

34. कठिनाईयों का निराकरण :- अगर इस अधिनियम के प्रावधानों को अमल में लाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, जैसी कि उस वक्त की जरूरत होगी, इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए नियमों के अतिरिक्त, उन कठिनाईयों को दूर करने के लिए किसी भी समय ऐसा कोई ऐसा कदम उठा सकती है, जो आवश्यक हो।

अनुसूची
[देखें धारा 3 (1)]

क्रम सं.	उपभोग अथवा उपयोग के लिए	कर की दरें
1	2	3
1.	एसीएसआर कंडक्टर	चार प्रतिशत
2.	एयर कंडीशनर, एयर कूलर, और एयर सर्कुलेटर	दस प्रतिशत
3.	कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन के लिए सभी उपकरण, जैसे कि प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज (पी.बी.एक्स.) और इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमैटिक ब्रांच एक्सचेंज (ई.पी.ए.बी.एक्स.) आदि और स्पेयर पार्ट्स, इससे संबंधित एक्सेसरीज और सभी प्रकार के केबल वायर	चार प्रतिशत
4.	सभी प्रकार के कैमरे	दस प्रतिशत
5.	एस्बेस्टस शीट	दस प्रतिशत
6.	ऑटोमैटेड टेलर मशीन (एटीएम)	चार प्रतिशत
7.	सूखा सेल और बटन सेल के अतिरिक्त बैटरी	दस प्रतिशत
8.	बीड़ी के पत्ते या कंदू के पत्ते	दस प्रतिशत
9.	बिटुमेन और कोल तार	चार प्रतिशत
10.	मोटर गाड़ियों की बिल्ट ऑन चेसिस बॉडी (कम्पोनेन्ट्स, पार्ट्स, एक्सेसरीज, किट्स या अन्य चीजें)	दस प्रतिशत
11.	केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल सहित	चार प्रतिशत
12.	सीमेंट	दस प्रतिशत
13.	कोयला और कोक, अपने सभी स्वरूपों में	चार प्रतिशत
14.	कॉम्पैक्ट डिस्क, खाली, लिखा हुआ या इसमें साफ्टवेयर/प्रोग्राम/डाटा स्टोर किया हुआ	चार प्रतिशत
15.	कंट्रोल पैनल, इलेक्ट्रीकल या इलेक्ट्रॉनिक में से एक, इलेक्ट्रीकल स्विच गियर, और अन्य इलेक्ट्रीकल सामग्रियाँ, जिनका इलेक्ट्रीसिटी के उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण के लिए होता है	दस प्रतिशत
16.	कुकिंग रेंज, जिसमें कुकिंग ओवन की सभी किसमें शामिल है, चाहे इसे एलपीजी के लिए डिजाइन किया गया हो अथवा ना हो	दस प्रतिशत
17.	करेंसी गिननेवाली मशीन	चार प्रतिशत
18.	ईडीसी मशीन	चार प्रतिशत
19.	इलेक्ट्रीकल सामग्रियाँ : जिनका जिक्र झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 05 की अनुसूची-II के भाग सी की इंट्री सं. 195 में है	दस प्रतिशत
20.	इलेक्ट्रॉनिक इनर्जी मीटर	दस प्रतिशत
21.	इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियाँ, जिन्हें कह सकते हैं :- (i) इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम, इन सिस्टम के कंपोनेन्ट्स और पार्ट्स, जैसे कि एम्प्लीफायर, ग्राफिक इक्वलाइजर, सिन्थेसाइजर, टनर, टेप डेक, रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड चेंजर,	दस प्रतिशत

	कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, या स्पीकर (ii) रेडियो और ट्रांजिस्टर (iii) टेलिविजन सेट, वीडियो कैसेट प्लेयर सेट, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर सेट	
22.	इमल्शन पेंट	दस प्रतिशत
23.	एक्सकैवेटर, हाइड्रॉलिक एक्सकैवेटर्स क्लैम्पशेल, ड्रॉजलिन, रॉक ब्रेकर्स, मिनी एक्सकैवेटर्स, क्रॉउलर, क्रेन्स, व्हीलड क्रेन्स, व्हील लोडर्स, फ्रंट इंड लोडर्स, शॉवेल्स, ब्रेकहॉक और आर्टिकुलेटेड क्रेन्स, और इस श्रेणी में अन्य सभी प्रकार के इम्प्लीमेंट्स, लेकिन ट्रैक्टरों को छोड़कर,	चार प्रतिशत
24.	फैक्स मशीन	चार प्रतिशत
25.	फरनेस ऑयल	दस प्रतिशत
26.	सभी किस्मों और डेस्क्रीप्शन्स के फर्नीचर, एसेम्बलड अथवा अनएसेम्बलड कोई भी	दस प्रतिशत
27.	जेनरेटर और जेनरेटर सेट, एसेम्बलड अथवा अनएसेम्बलड कोई भी	दस प्रतिशत
28.	ग्लास या सीसे	दस प्रतिशत
29.	ग्रेनाइट स्लैब	दस प्रतिशत
30.	एचडीपीई/पीपी वुवन फैब्रिक्स और सैक्स	चार प्रतिशत
31.	हाई स्पीड डीजल ऑयल	पंद्रह प्रतिशत
32.	लोहा और स्टील, फेरो एलॉय सहित	चार प्रतिशत
33.	आईटी प्रोडक्ट्स, जिसमें कंप्यूटर या कम्प्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर(सी)/प्रोग्राम(स)/डॉक्यूमेंट(स)/डाटा(ज), जो किसी कंप्यूटर सिस्टम डिवाइसेस में स्टोर किया गया हो, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, कंप्यूटर स्टेशनरी, प्रिंटर, एक्सेसरीज, और इसके पार्ट्स, मोबाइल टेलीफोनी सिस्टम, और इसके पार्ट्स	चार प्रतिशत
34.	निटिंग (बुनाई) मशीन और एम्ब्रॉयडरी (कढ़ाई) मशीन	दस प्रतिशत
35.	लिनोलियम, फ्लेक्सीबल फ्लोरिंग सामग्रियों सहित	दस प्रतिशत
36.	लिफ्ट, चाहे यह इलेक्ट्रीसिटी से चलता हो अथवा भाप से, और इससे संबंधित एक्सेसरीज और कंपोनेन्ट्स (एसेम्बलड अथवा अनएसेम्बलड, कोई भी)	दस प्रतिशत
37.	हल्का डीजल ऑयल	पंद्रह प्रतिशत
38.	ल्यूब्रीकेन्ट्स ऑयल, ग्रीस, ब्रेक फ्लूड, ट्रांसफर्मेर ऑयल, और अन्य क्वैचिंग ऑयल	दस प्रतिशत
39.	मार्बल, मार्बल क्लिप्स, मार्बल टाइल्स, मोजाइक टाइल्स, मोजाइक क्लिप्स, डेकोरेटिव स्टोन्स, सिरैमिक और ग्लेज़ड टाइल्स, और ग्रेनाइट स्टोन	दस प्रतिशत
40.	मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हॉस्पिटल एक्विपमेंट्स, जिसमें डेंटल चेयर शामिल हैं: जब राज्य अथवा केंद्र सरकार के मालिकाना हक से अलग अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स आदि से खरीदा गया हो	चार प्रतिशत
41.	माइक्रोवेव ओवन	दस प्रतिशत

42.	मोटर गाड़ियाँ, जिसमें मोटर कार, जीप, सभी प्रकार के दुपहिया और तिपहिया वाहन, लाइट और हेवी कमर्शियल वाहन सम्मिलित हैं, साथ ही ट्रकों और बसों के चेसिस,	दस प्रतिशत
43.	मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर और अन्य प्रकार के प्रोजेक्टर	चार प्रतिशत
44.	फोटोकॉपी करनेवाली मशीन	दस प्रतिशत
45.	पाइप्स : जिनका जिक्र झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 05 की अनुसूची-II के भाग सी की इंट्री सं. 97 में है	चार प्रतिशत
46.	प्लास्टिक की सामग्रियाँ, मोल्डेड लगेज कंटेनर्स	चार प्रतिशत
47.	मोटरगाड़ियों के लिए प्रदूषण की जाँच करनेवाले उपकरण	चार प्रतिशत
48.	रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर्स, बॉटल कूलर्स और वाटर कूलर और इनके पार्ट्स	दस प्रतिशत
49.	सैनिटरी वेयर और फिटिंग्स	दस प्रतिशत
50.	स्कैनिंग मशीन	चार प्रतिशत
51.	साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, एकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और साइंटिफिक बैलेंस लैबोरेटरी उपकरण शामिल हैं	दस प्रतिशत
52.	साफ्टवेयर(र्स), कंप्यूटर सिस्टम के लिए या अन्यथा	चार प्रतिशत
53.	सभी प्रकार के मोटर्स और मोटरगाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज, दुपहिया और तिपहिया वाहनों सहित	दस प्रतिशत
54.	टिम्बर	दस प्रतिशत
55.	तम्बाकू, जिसमें अनिर्मित तम्बाकू और तम्बाकू रिफ्यूज, सिगार, तम्बाकू के चुरट, सिगरेट, तम्बाकू के सिगारिलोज, और अन्य तम्बाकू उत्पाद शामिल हैं, लेकिन बीड़ी, बीड़ी तैयार करने के लिए अनिर्मित तम्बाकू	दस प्रतिशत
56.	ट्रांसमिशन टावर, जो टूटी-फूटी हालत में हैं, सहित	दस प्रतिशत
57.	अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई (यूपीएस), वोल्टेज स्टेबलाइजर, पावर बैक-अप सिस्टम और ट्रांसफॉर्मर	चार प्रतिशत
58.	वनस्पति और हाइड्रोजेनेटेड ऑयल	चार प्रतिशत
59.	वी-सैट एन्टीना, डिश एन्टीना, और सिगनल ट्रांसमिशन उपकरण	चार प्रतिशत
60.	वाशिंग मशीन	दस प्रतिशत
61.	वेइंग मशीन, वेइंग ब्रिजेज, पार्ट और एक्सेसरीज	दस प्रतिशत
62.	सफेद सीमेंट	दस प्रतिशत
63.	एक्स-रे और सीटी स्कैन फिल्मस	चार प्रतिशत

(25)

यह विधेयक झारखण्ड स्थानीय क्षेत्र में उपयोग अथवा व्यवहार हेतु वस्तुओं के प्रवेश पर प्रवेश कर विधेयक, 2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 24 मार्च, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।